HRCE azette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 🛛 — खण्ड ३ — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 588] No. 588]

रजिस्ट्री २२ डो॰ एल॰- ३८७७४/१५

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 22, 2001/अग्रहायण 1, 1923 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 22, 2001/AGRAHAYANA 1, 1923

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2001

सा.का.नि. 860 (अ), ---- केन्द्रीय सरकार, भोपाल गैस विभीषिका (दावों पर कार्यवाही) अधिनियम, 1985 (1985 का 21) को धारा 6 को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एस. बी. साक्रिकर को 15 सितम्बर, 2000 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना के पीड़ितों के कल्याण के लिए समवर्ती प्रभार सहित आयुक्त के वर्तमान पद पर नियुक्त करती है। यह इस विभाग के 21 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 924(अ) के क्रम में है।

> [सं. 21/27/95-भोपाल सेल] एच. सी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2001

G.S.R. 860 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of Claims) Act, 1985 (21 of 1985), the Central Government hereby appoints Justice Shri S. B. Sakrikar, sitting Judge of the High Court of Madhya Pradesh to hold concurrent charge of the post of Commissioner for the Welfare of the victims of Bhopal Gas Leak Disaster, for a further period of one year with effect from the 15th September, 2000. This is in continuation of this Department's Notification No. GSR 924 (E) dated 21-12-2000.

> [F. No. 21/27/95-B. Cell] H. C. GUPTA, Jt. Secy.

3597 GI/2001